

**मांग संख्या 12**  
**मुख्य शीर्ष 2045**

**मद क्रमांक 1**

उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अतः लेखा अंतरण मंद के अंतर्गत राशि ` 8433.79 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ` 84,33,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 2**

05 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु ` 5558.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ` 55,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2810**

**मद क्रमांक 3**

सोलर लैम्प/सोलर स्टडी लैम्प का निःशुल्क प्रदाय योजना अंतर्गत राशि ` 40.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ` 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।